

दो रुपये  
TWO RUPEES



(22)

न्यायालय राजस्व मंडल ₹५०.००

T. No. 197 नि. 283-1157

क्रमांक  
नि. राजस्व शास्त्र  
प्रियवस्था द्वारा आवाहिनीक ०६.१२.७  
क्र. प्रस्तुत ०६.१२.७  
बलध. जॉर्ज चौट  
राजस्व प्र. ८८६ नि. ३०८८८

34 - III

₹५०. 283-1157

₹५०. 283-1157

- 1- मातादीन शमा
- 2- रामगौपाल पुत्रगण रामचरण लाल  
निवासीगण ग्राम भगवासा तहसील  
गौहद जिला झिंड --- प्रार्थीगण  
बनाम
- 1- महिला रामबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण  
नि. ग्राम चन्दहारा तहसील गौहद  
जिला झिंड
- 2- जगदम्बा पुसाद पुत्र रामचरणलाल  
नि. ग्राम भगवासा तहसील गौहद  
जिला झिंड  
----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विद्वजादेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग  
आदेश दिनांक १९. ११. ९७ पारित पु. क्र. ३/९६-९७  
नि. निगरानी अन्तर्गत धारा ५०. रै. को.

### श्रीमान् X

निगरानी प्रार्थीगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यहांकि, अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय ने ना तो स्वागत से संबंधित विधि पर भली भाँति विचार किया और ना प्रार्थी की आपत्तियों का निराकरण किया। ऐसी अवस्था में अपर आयुक्त महोदय का आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरसन यौग्य है।
- 2- यहांकि, प्रतिप्रार्थी क्र. । विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, ऐसीअवस्था में जब तक प्रतिप्रार्थी क्र. । द्वारा प्रस्तुत

--- 2 ---

१५

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 283-तीन/1997

अनुबंध आदेश पृष्ठ

जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियापकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2014	<p>आवेदकगण के अधिवक्ता अनुपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के फौत होने के उपरांत वारिसान आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः प्रकरण में आवेदक की अरुचि के कारण एवं इस प्रकरण को चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	